न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 14/22 सन् 2022

RCMS NO-2022/ 222

बउनवानीः—1. श्रीमति लाली बेवा पत्नि रामेश्वर उर्फ रामनिवास जाति रेगर निवासी पावंडेरा
2. कन्हैया पुत्र रामेश्वर उर्फ रामनिवास जाति रेगर निवासी पावंडेरा
3. गोपीचन्द पुत्र रामेश्वर उर्फ रामनिवास जाति रेगर निवासी पावंडेरा
4. कान्ती पुत्री रामेश्वर उर्फ रामनिवास जाति रेगर निवासी पावंडेरा
5. सावित्री पुत्री रामेश्वर उर्फ रामनिवास जाति रेगर निवासी पावंडेरा
6. पार्वती पुत्री रामेश्वर उर्फ रामनिवास जाति रेगर निवासी पावंडेरा
7. ममता पुत्री रामेश्वर उर्फ रामनिवास रेगर निवासी पावंडेरा तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्व नामा0 संख्या 1199 निर्णय दिनांक 25.7.2022 वाके ग्राम पावंडेरा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद कुमार शर्मा,(नायब तहसीलदार) — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 10.7.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1199 निर्णय दिनांक 25.7.2022 वाके ग्राम पावंडेरा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पति एवं पिता स्व0 श्री रामनिवास उर्फ रामेश्वर रेगर पुत्र छीतर रेगर जाति रेगर की मृत्यु दिनांक 6.11.2016 को होने के उपरान्त रामनिवास उर्फ रामेश्वर की खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1429/2479 रकबा 0.05 है0 का 1/6 एवं खाता संख्या 558 में दर्ज खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.6900 व ख0न0 275 रकबा 0.5900 है0 एवं खाता संख्या 492 मे दर्ज खसरा नम्बर 2309/2901 रकबा 1.2600 है0 स्थित ग्राम पावंडेरा तहसील चौथ का बरवाडा में विरासत का नामा0 हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 22.6.2022 को सम्पूर्ण जांच कर भरा गया जिसपर संबंधित आई.एल.आर द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने दिनांक 25.7.2022 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त अपीलाधीन नामा0 खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट पेश की गयी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त नामा0 सम्पूर्ण जॉच कर भरा है अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक रामनिवास उर्फ रामेश्वर रेगर का पेश कर दिया था इसके अतिरिक्त रामनिवास उर्फ रामेश्वर की पत्नि लाली देवी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमे स्पष्ट लिखा गया है कि मेरे पति रामनिवास उर्फ रामेश्वर पुत्र छीतर लाल रेगर निवासी पावंडेरा तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी प्रेमनगर–प्रथम कोटा, जिला कोटा की मृत्यु दिनांक 6.11.2016 को हो गयी है। तथा मृतक के विधिक वारिसान का सजरा भी शपथ पत्र में अंकित किया था तथा नामा0 में वर्णित आराजी अपीलान्ट नम्बर 1 के पति व 2 लगायत 7 के पिता रामनिवास उर्फ रामेश्वर शुरू से ही अपने गांव पावंडेरा मे ही रहता था इसलिए दिनांक 22.10.1975 को प्रार्थी के पति/पिता को उक्त भूमि आवंटित हुई थी आवंटन के पश्चात उक्त आराजीयात का गैर खातेदारी का नामा0 तस्दीक कर दिया गया था तथा गैर खातेदारी के उपरान्त नामा0 नियमों के मुताबिक खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तथा आवंटन की दिनांक से लेकर आज दिनांक तक अपीलान्ट ही उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है किसी भी दीगर व्यक्ति को कब्जा काश्त नही है। उक्त भूमि को काफी रूपये खर्च कर के काश्त बनाया है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कमाने खाने, मजदूरी करने कोटा चला गया था वही उसका देहान्त हो गया था मृतक को गांव मे रामेश्वर कहते थे तथा सरकारी रिकार्ड मे रामनिवास दर्ज है। इस प्रकार ...न

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नामा0 जॉच कर भरा गया है तथा ग्राम पंचायत पावंडेरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2021 से रामनिवास उर्फ रामेश्वर रेगर एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि होती है तथा इसके अलावा आर्थिक एवं सांख्यिकी अधिकारी निदेशालय विभाग के रजिस्ट्रार, नगर निगम कोटा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से भी इस बात की पुष्टि होती है। यह तर्क भी दिया विरासत का नामा0 दिनांक 22.6.2022 को पटवारी द्वारा भरा गया है तथा दिनांक 25.7.2022 तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मात्र 33 दिवस मे तस्दीक कर दिया है जबकि उक्त नामा0 को 45 दिवस तक तस्दीकर करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त है ऐसी स्थिति मे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.8.2022 प्राप्त होने तथा दिनांक 26.8.2022 को आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है अतः अपील मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील पैरोकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि अपीलान्ट का परिवार वर्तमान में कोटा रहता है इसलिए अपीलान्ट के पति/पिता के सही नाम एवं उसकी विरासत की जॉच संबंधित तहसीलदार से करवायी जानी चाहिए थी जो नही करवायी गयी है। केवल मात्र मृतक की पत्नि के शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत पावंडेरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं नगर निगम कोटा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पिता रामेश्वर उर्फ रामनिवास होने की पुष्टि नही की जा सकती तथा अपीलान्टगण द्वारा रामेश्वर उर्फ रामनिवास एक ही व्यक्ति होने के संबंध मे पुख्ता प्रमाण पेश नही किया गया है। इसलिए आदेश जैर अपील खारिज किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील को इसलिए गलत बताया गया है क्योकि प्रथम तो आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1199 को 45 दिवस तक तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त था किन्तु तहसीलदार द्वारा 33 दिवस मे ही उक्त नामा0 तस्दीक कर दिया गया है जो तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के बाहर है इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पावंडेरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2021 से तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी अधिकारी निदेशालय विभाग के रजिस्ट्रार, नगर निगम कोटा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से भी रामेश्वर उर्फ रामनिवास एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि होती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी दस्तावेजात एवं हल्का पटवारी की जॉच को नजर अन्दाज करते हुए विधि विरूद्व तरीके से नामा0 संख्या 1199 खारिज किया जाना बताया गया है। किन्तु उक्त नामा0 को खारिज किये जाने से पूर्व तहसीलदार चौथ का बरवाडा को संबंधित तहसीलदार जहाँ वर्तमान मे अपीलान्ट निवास कर रहे है से अपीलान्ट के पति/पिता के सही नाम की पुष्टि एवं उसके विधिक वारिसान की जॉच करवायी जानी चाहिए तथा आवंटन आदेश 22.10.1975 इत्यादि की जॉच करनी चाहिए थी कि उक्त आवंटन दोनो नामो मे से किस नाम से हुआ है इत्यादि तथ्यों की जॉच करनी चाहिए थी। अतः प्रकरण मे उपरोक्त तथ्यों की जॉच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक रामनिवास उर्फ रामेश्वर रेगर एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि एवं उसके विधिक वारिसान की जॉच वर्तमान पते से संबंधित तहसीलदार से करवायी जावें साथ ही आवंटन आदेश दिनांक 22.10.1975 इत्यादि की जॉच कर नियमानुसार नि[illegible] करें।

निर्णय आज दिनांक 10.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner